ई-मेल

संख्या- 75/2026/आई/1406043/2026/16-3099/93/2024

प्रेषक,

विनोद कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ** **दिनांकः 23 जुलाई, 2026**

विषयः- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से आच्छादित राजकीय पालीटेक्निक, राहतपुर खुर्द, नजीबाबाद, बिजनौर के अवशेष निर्माण कार्यो को पूर्ण कराए जाने संबंधी परियोजना की टेण्डर कास्ट की लागत के आधार पर पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-589820/2026/ई-प्लान-भवन-(एमएसडीपी)/राहतपुर खुर्द बिजनौर, दिनांक 13.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से आच्छादित राजकीय पालीटेक्निक, राहतपुर खुर्द, नजीबाबाद, बिजनौर के अवशेष निर्माण कार्यो को पूर्ण कराए जाने संबंधी परियोजना को वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 के "प्रस्तर- 2-2 वित्तीय स्वीकृतिः-(1)" में उल्लिखित व्यवस्था के अनुपालन में टेण्डर कास्ट के आधार पर आगणित पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 13.05.2026 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आलोक में श्री राज्यपाल वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 के "प्रस्तर- 2-2 वित्तीय स्वीकृतिः-(1)" में उल्लिखित व्यवस्था के अनुपालन में प्रश्नगत परियोजना की टेण्डर कास्ट के आधार पर आगणित पुनरीक्षित लागत **रु0 1508.88 लाख (वर्क डन रू0 800.00 लाख + रू0 708.88 लाख वर्क टू बी डन)** पर शासनादेश संख्या-44/2025/आई/907385/2025/16-3099/93/2024, दिनांक 17.03.2026 में उल्लिखित तथा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन सहर्ष प्रदान करतीं हैं-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) सेंटेज चार्जेज के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जायेगा।
(4) किसी भी वित्तीय अनियमिमता का उत्तरदायित्व निदेशक, प्राविधिक शिक्षा का होगा ।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न गैर वित्तीय अशासकीय संख्या-ई-11-96-X-2026-27 दिनांक 20 जुलाई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
विनोद कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।

6- महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- जिलाधिकारी, बिजनौर । (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)

8- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर। (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)

9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर/ बिजनौर । (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)

10- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ। (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11

12- अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

13- नियोजन अनुभाग-4

14- विभागीय पत्रावली।

आज्ञा से,
विनोद कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।